प्रेस विज्ञप्ति
09/07/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), सूरत उप आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स साईं प्रसाद ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के विरुद्ध पीएमएलए मामले में 1.85 करोड़ रुपये (संचित ब्याज सहित) मूल्य की चल संपत्तियाँ सही दावेदार अर्थात भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को सफलतापूर्वक वापस कर दी हैं। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत कुर्क की गई संपत्तियों की यह वापसी विशेष न्यायालय (पीएमएलए), अहमदाबाद ग्रामीण द्वारा पारित आदेश के अनुसार की गई। यह महत्वपूर्ण घटनाक्रम न केवल अपराध की आय (पीओसी) का पता लगाने और कुर्क करने के लिए निदेशालय के अथक प्रयासों को रेखांकित करता है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए उसकी अटूट प्रतिबद्धता को भी पुष्ट करता है कि धन सही दावेदारों या "धन शोधन के पीड़ितों" को वापस किया जाए।

ईडी ने सीबीआई, बीएस एंड एफसी, मुंबई द्वारा दर्ज एफआईआर संख्या 2 (ई)/2009, दिनांक 29.01.2010 के आधार पर पीएमएलए के तहत जांच शुरू की। जांच से पता चला कि मनोज कुमार गुप्ता, जो पूर्व में भारतीय स्टेट बैंक सलाबतपुरा शाखा के मुख्य प्रबंधक थे, ने अपनी ओमिशन और कमीशन के कृत्यों से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मेसर्स साई प्रसाद ऑर्गनाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में धोखाधड़ी से एलसी भुनाया और 08.10.2009 से 30.10.2009 की अवधि के दौरान मेसर्स साई प्रसाद ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के खाते में 12.12 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए।

जाँच के दौरान, इस निदेशालय द्वारा दिनांक 25.03.2015 के अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) संख्या 01/2015 के तहत 1.16 करोड़ रुपये की अपराध आय कुर्क की गई और न्यायनिर्णयन प्राधिकरण, पीएमएलए, नई दिल्ली ने दिनांक 06.07.2015 के अपने आदेश द्वारा उक्त पीएओ की पुष्टि की। इसके अलावा, मनोज कुमार गुप्ता एवं अन्य के विरुद्ध अहमदाबाद स्थित विद्वान विशेष पीएमएलए न्यायालय में अभियोजन शिकायत भी दायर की गई।

मुकदमे के दौरान, एसबीआई ने पीएमएलए की धारा 8 के तहत कुर्क की गई चल संपत्तियों की वापसी की मांग करते हुए विद्वान न्यायालय में एक आवेदन दायर किया, जिस पर ईडी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। तदनुसार, विद्वान विशेष न्यायालय (पीएमएलए), अहमदाबाद ने वापसी की अनुमति दे दी, जिससे उक्त मूल्यवान संपत्तियाँ सही दावेदारों को वापस मिल सकें।